



RAJ BHAVAN BHOPAL

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना

वि.क्र. एफ-1-5/22/रा.स./यू.ए.1/

दिनांक 01 अप्रैल, 2022

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.), जो कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2011) के अंतर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के तहत नियुक्त समिति द्वारा अनुसंधित पैनल में से कुलाधिपतिजी के द्वारा की जाना प्रस्तावित है।

2. कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष होगा।
3. चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्चतम कोटि की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, चरित्रबल एवं संस्थागत वचनबद्धता होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात होने के साथ-साथ उसे ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। उसका जन्म दिनांक 01 सितम्बर, 1956 या उसके बाद हुआ हो।
4. अभ्यर्थी को अपने बेदाग केरियर व असंदिग्ध निष्ठा के समर्थन में आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध ब्यूरो या अन्य किसी संस्थान में किसी भी स्तर पर कोई जांच अथवा आपराधिक प्रकरण संस्थित/प्रचलित/लंबित नहीं है।
5. वर्तमान में सेवारत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता/ कार्यालय प्रमुख का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है।
6. यदि पूर्व वर्षों में उपरोक्तानुसार कोई जांच की गई है तो ऐसे जांच प्रकरणों का विवरण एवं निष्कर्ष का भी स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थी को स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र में करना होगा।
7. कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन एवं अभिलेख दिनांक 09 मई, 2022 तक राजभवन की वेबसाईट "governor.mp.gov.in" पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत कर प्राप्त प्रस्तुतीकरण रसीद एवं प्रस्तुत आवेदन की डाउनलोड की गई प्रति को प्रत्येक पृष्ठ पर स्वहस्ताक्षरित कर विस्तृत जीवनवृत्त एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल-462003 (म.प्र.) को पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट इत्यादि से भेजा जावे। लिफाफे के ऊपरी भाग पर स्पष्ट लिखा जावे कि "मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के कुलपति पद के लिये आवेदन"।
8. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक में विलम्ब हेतु यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
9. कार्यालय में बिना ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के सीधे प्राप्त किसी भी आवेदन को विचार में नहीं लिया जावेगा। आवेदन को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश



**RAJ BHAVAN
BHOPAL**

**NOTICE INVITING ONLINE APPLICATIONS FOR APPOINTMENT
OF VICE CHANCELLOR FOR
MADHYA PRADESH AYURVIGYAN UNIVERSITY, JABALPUR (M.P.)**

Advt. No. F 1-5/22/G.S./U.A.1/

Dated 01 April, 2022

It is proposed to appoint a Vice-Chancellor for the Madhya Pradesh Ayurvedic University, Jabalpur, established under the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011), out of a panel to be recommended by a Committee, appointed in terms of section 12(2) of above mentioned Act.

2. The vice-chancellor shall hold office for a term of 04 years from the date on which he enters office.
3. As the Vice Chancellor is the Principal and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional committment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Health Education. He/She must have been born on or after 01st September, 1956.
4. In support of his unblemished career and undoubted integrity, the applicant should file a self attested certificate to the effect that no enquiry is instituted/ commenced/pending in Lokayukt Sangathan, Economic Offence Bureau or any other organization against him at any level.
5. Along with the application, in case the applicant is in service, he should file a certificate of his employer / head of the office to the effect that no departmental enquiry is pending against him.
6. In case of any enquiry conducted as above in earlier years, details of such cases and final conclusion of the enquiry shall have also to be clearly mentioned by the applicant in the self attested certificate.
7. The aspirant for the post of Vice-Chancellor may submit his/her application and documents online on or before 09th of May, 2022 on the link available on Rajbhavan's website "governor.mp.gov.in" and send, selfsigned on every page of generated receipt and downloaded copy of application submitted with documents alongwith bio-data and required certificates, to the Principal Secretary, Governor's Secretariat, Rajbhavan, Bhopal- 462003 (M.P.) by registered/speed post etc. "Application for the post of Vice-Chancellor, Madhya Pradesh Ayurvedic University, Jabalpur (M.P.)" should be super-scribed on the upper part of envelope.
8. Applications received after the prescribed date shall not be considered. This office shall not be responsible for postal delay.
9. Any application received directly without online submission shall not be taken in to consideration. Online submission of application is compulsory.

Addl. Secretary to Governor
Madhya Pradesh